BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 595/2022

IN THE MATTER OF:

SARITA SINGH …………APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS ……..RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE MEERUT IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 09.12.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 06.11.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 12.11.2024 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-2	
4.	COPY OF THE LETTER DT. 11.11.2021 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-3	
5.	COPY OF THE REPORT DT. 06.02.2025 ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE A-4	

THROUGH

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF UTTAR PRADESH

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

9079321362

DATE: 10.02.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 595/2022

IN THE MATTER OF:

Sarita Singh .....**APPLICANT**

Versus

State of Uttar Pradesh &Ors. ......**RESPONDENT(S)**

AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, MEERUT IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 09.12.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Dr. V. K. SINGH aged about 53 years S/o ......LATE SH. P. N. SINGH.........................., presently posted as District Magistrate, Meerut, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter is fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That the grievance in the present matter is regarding illegal encroachment over the lake area and wildlife sanctuary situated in the area of Nangla Gosain, Block Parikshitgarh, Tehsil Mawana, District Meerut damaging the biodiversity and the environment of the lake and wildlife sanctuary.

4. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 15.01.2024, passed an interim order directing that 107 families whose particulars were mentioned in the list shall not be evicted without giving opportunity of being heard and without following the prescribed procedure and complying with the rehabilitation policy of the State of Uttar Pradesh if applicable to them.

5. That it is to be submitted that the encroachments have been removed from the land in question except area measuring 1.95 hectares on which 107 families are stated to be residing.The question as to whether the encroachers are to be evicted with or without resettlement has not yet been decided by the concerned Authorities.

6. That the Deponent has written letters dated 10.07.2024 and 28.09.2024 to the Additional Chief Secretary of Government of Uttar Pradesh, Lucknow for shifting the 107 families residing in village Nangla Gosain to a new location as mentioned in affidavit of the Deponent dated 30.09.2024 and the matter is stated to be under consideration.

7. That in furtherance of the same, a letter dt. 06.11.2024 was written by the Deputy Secretary, Government of Uttar Pradesh to the Commissioner & Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh, Lucknow. That the said letter is in reference to the aforementioned letter dt. 28.09.2024 and vide the said letter it was requested to the Commissioner & Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh, Lucknow to provide a clear and detailed

report with respect to providing an alternate location for the rehabilitation of the 107 families.

A Copy of the letter dt. 06.11.2024 has been attached herewith as **ANNEXURE A-1.**

8. That further, the Commissioner & Secretary, Board of Revenue, Lucknow has written a letter dt. 12.11.2024 to the Deponent. That vide the said letter Commissioner & Secretary, Board of Revenue, Lucknow has inquired about the following points in the present matter:
   - Which alternative location has been identified for the rehabilitation of these 107 Bengali families from village Nangla Gosain, Tehsil Mawana, District Meerut?
   - Has the Deponent, selected a suitable piece of land for their relocation?

   That the Commissioner & Secretary, Board of Revenue, Lucknow has requested the Deponent to provide a clear and detailed report addressing both the above queries. Additionally, it was also requested in the said letter to submit the list of 107 Bengali families residing in village Nangla Gosain to the Board of Revenue. Furthermore, it was also directed vide the said letter to verify whether any department has previously allotted land to these 107 families.

   A Copy of the Letter dt. 12.11.2024 has been attached herewith as **ANNEXURE A-2.**

9. That in response of the aforementioned letter, the Deponent has submitted a report vide a letter dt. 06.02.2025 to the Commissioner & Secretary, Board of Revenue, Lucknow. That the said report states the following points:

- That due to the reserved forest area around Village Nangla Gosain, land selection for rehabilitation in the vicinity is not feasible. Additionally, no suitable land for the rehabilitation of 107 Bengali families has been found in Tehsil Sardhana and Meerut.
- That the Deponent has also attached a list of 107 Bengali families residing in Village Nangla Gosain longwith the said report.
- No department of the Uttar Pradesh government has allocated any land for the rehabilitation of these 107 Bengali families.
- That previously, 407 Bengali families displaced from East Pakistan were rehabilitated in Madan Soot Mill, Hastinapur, District Meerut, under employment provisions. That after the Madan Soot Mill was shut down on 01.05.1984, 63 out of these 407 families were resettled in Village Bhaisaya Tehsil Rasulabad, District Kanpur Dehat, as per Revenue Section-6 directives mentioned in the letterdated 11.11.2021.
- Therefore, it would be appropriate to request the District Magistrate, Kanpur Dehat, to identify approximately 4.00 hectares of suitable land for the relocation of the affected families.

A Copy of the letter dt. 11.11.2021 has been attached herewith as **ANNEXURE A-3.**

A Copy of the report dt. 06.02.2025 has been attached herewith as **ANNEXURE A-4.**

10.That in light of the above, the Deponent has ensured necessary compliance in strict adherence to the directions issued by the Hon'ble Tribunal.

11.Hence the present affidavit is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

OATH COMMISSIONER

12. That I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

10.02.2025

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at **Meerut** on this **10th** day of February, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

10.02.2025

DEPONENT

Serial No. 117 Coupon No. 117
Deponent Shri. Dr. V.K. Singh
Identified by Shri I.P. Singh
Made this ... day ...

10-2-2025

Oath Commissioner

1-6099/101/2024-राजस्व अनुभाग-6-revenue Department

1/787580/2024

Annx-1

ई-मेल द्वारा

संख्या-1141/एक-6-2024

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 06-11-2024

विषय:- जनपद मेरठ की तहसील मवाना स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतु अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या-189/सात-एल0आर0सी0/2024, दिनांक 28-9-2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ की तहसील मवाना स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतु अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्र का परीक्षण करते हुए प्रकरण के संबंध में अपनी संस्तुति सहित सुस्पष्ट आख्या शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 06-11-2024 09:52:17

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मेरठ को उनके पत्र संख्या-189/सात-एल0आर0सी0/2024, दिनांक 28-9-2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Annx-2

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–11, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ, उ0प्र0।

संख्या: जी–699/11–87(रा0आ0)/2024, दिनांक : 12|11|2024.

विषयः जनपद मेरठ की तहसील मवाना सिति ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतु अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन पत्र सं0–1141/एक–6–2024 दिनांक 06.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा जनपद मेरठ की तहसील मवाना स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतु अन्य स्थान पर पुनर्वासित किये जाने के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण पर आयुक्त एवं सचिव महोदय द्वारा पृच्छा की गयी है कि जनपद मेरठ की तहसील मवाना स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतु अन्य स्थान कहाँ है? जिलाधिकारी मेरठ ने भूमि का चयन किया?

अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में आयुक्त एवं सचिव महोदय द्वारा अपेक्षित दोनों बिन्दुओं पर सुस्पष्ट आख्या तथा ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों की सूची परिषद को उपलब्ध कराने एवं यह भी जॉच करा लिया जाये कि उक्त 107 परिवारों को किसी विभाग द्वारा पूर्व में कोई भूमि आवंटित तो नहीं हुई है, के संबंध में आख्या परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(सूरज कुमार यादव)
सह प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–6, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

12.11.24

(सूरज कुमार यादव)
सह प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या–सी0एम0–25 /एक–6–2021–वी.आई.पी.–02/2018–रा0–

Annx-3

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2021

विषयः वर्ष–1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हिन्दू बंगाली परिवारों के पुनः पुनर्वासन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–जी–690/11–44–रा0आ0/2015, दिनांक 18–08–2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. पूर्वी पाकिस्तान से वर्ष–1970 में विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन के लिए व्यवस्था की गयी थी। यह पुनर्वासन The Displaced Persons (Claims) Act, 1950 & The Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 के प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी थी। पुनर्वासन की कार्यवाही कतिपय परिवारों को कारखाने में नौकरी देकर तथा कृषि भूमि आवंटित कर की गई थी। कृषि भूमि, जो सीलिंग में सरप्लस घोषित की गई थी व जो ग्राम समाज की थी वह विस्थापित परिवारों के आवंटन के लिए सहायता व पुनर्वास विभाग के नाम हस्तांतरित की गई थी। सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3386/बीस–ई–1–90– यू0ओ0–242/90, दिनांक 24 मई, 1990 द्वारा सहायता एवं पुनर्वास विभाग को समाप्त कर उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप सं0–यू0ओ0 128/1–6–90–रा0–6–(92/86), दिनांक 15 जून, 1991 द्वारा राजस्व विभाग में संविलीन कर दिया गया। कार्यालय ज्ञाप संख्या–यू0ओ0 128/ 1–6–90–रा0–6–92/86 दिनांक 15.06.1991 के प्रस्तर–2(1) में व्यवस्था है, कि सहायता तथा पुनर्वासन विभाग की प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित चल/अचल परिसम्पत्तियां अब राजस्व विभाग की सम्पत्तियां हो जायेंगी।

3. पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित हिन्दू बंगाली परिवारों, जिन्हें नौकरी पर मदन सूत मिल, हस्तिनापुर, जनपद मेरठ में पुनर्वासित किया गया था, उक्त मिल दिनांक 08.08.1984 को बन्द हो जाने के बाद मदन सूत मिल में कार्य कर रहे 407 परिवारों में से 332 परिवारों को उड़ीसा एवं बदायूँ मे कृषि भूमि उपलब्ध कराकर पुनः पुनर्वासित किया गया। परन्तु कुल 65 परिवारों को पुनः पुनर्वासित अभी तक नहीं किया जा सका था। इन 65 परिवारों में 02 परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, किन्तु 63 परिवार शेष हैं, जिनके पुनः पुनर्वासन का प्रकरण वर्ष 1990 के पूर्व से (30 वर्ष से अधिक समय से) लम्बित चल रहा है। इन 63 परिवारों की सूची संलग्नक–1 पर है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम भैंसाया, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात में 121.416 हे0 भूमि पुनर्वास विभाग के नाम अभिलेखों में दर्ज है। इस भूमि पर वर्ष–1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को निम्नलिखित कार्य योजना के अनुसार पुनः पुनर्वासित किये जाने का श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

Manoj

(i) कृषि कार्य हेतु प्रति परिवार भूमि आवंटन – 2.00 एकड़
(ii) आवास हेतु भूमि प्रति परिवार – 200 वर्ग मीटर
(iii) आवास निर्माण हेतु प्रति परिवार – रू. 1.20 लाख
(मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत)
(iv) भूमि सुधार व सिंचाई सुविधा – आवश्यकतानुसार मनरेगा योजनान्तर्गत क्रियान्वित किया जाएगा।

उपरोक्त 2.00 एकड़ कृषि भूमि एवं 200 वर्ग मीटर आवासीय भूमि 1.00–1.00 रूपये की लीज रेण्ट पर प्रथम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी, जिसे 30–30 वर्ष के लिए दो बार पुन नवीनीकृत करने का प्राविधान होगा, लेकिन पट्टे की अधिकतम अवधि 90 वर्ष की होगी। पट्टे का अभिलेख सलग्नक–2 पर है, यह पट्टा रू0 100/– के स्टाम्प पर किया जाएगा।

3– कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सलग्नकः–
(1)– 63 हिन्दू बंगाली परिवारों की सूची।
(2)– पट्टा अभिलेख का प्रारूप।

भवदीय,

11.11.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–सी0एम0–25(1)/एक–6–2021–रा0–6:तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन।
2 अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
4 अपर मुख्य सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन।
5 अपर मुख्य सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
6 अपर मुख्य सचिव, वित, उत्तर प्रदेश शासन।
7 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8 मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
9 मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल।
10 जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
11 जिलाधिकरी, मेरठ।
12 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लालू)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

Annx-4

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उ०प्र०,
अनुभाग-11, लखनऊ।

पत्रांक:-383/सात-भूलेख/एल०आर०सी०/2024-25 दिनांक:- 06 -02-2025

विषय:- जनपद मेरठ की तहसील मवाना स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतु अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, अनुभाग-11, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-699/11-87(रा०आ०_/2024 दिनांक 12-11-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत जनपद मेरठ की तहसील मवाना स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतू अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में चाहे गये बिन्दुओ पर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। आख्या निम्नवत है:-

उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी मवाना के पत्र संख्या-1577/एस०टी०-मवाना/2024-2025 दिनांक 05-02-2025 द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि:-

(1) ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना जनपद मेरठ में झील की भूमि पर निवासरत 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-595/2022 IA NO-04/2024 & 1.A No 07/2024) sarita singh & ors Vs state of up & ors विचाराधीन है।

(2) जनपद मेरठ तहसील मवाना में स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतू नंगला गौसाई के आस पास वन आरक्षित क्षेत्र होने के कारण भूमि का चयन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त तहसील सरधना व मेरठ में भी 107 हिन्दू बंगाली परिवारों के पुर्नवास हेतू उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी।

(3) जनपद मेरठ तहसील मवाना में स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू परिवारो की सूची सलंग्न है जिसमें लगभग 363 व्यक्ति शामिल है।

(4) उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग से उक्त 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतू भूमि आवंटित नहीं की गयी है।

(5) उल्लेखनीय है कि पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 407 हिन्दू बंगाली परिवारों को जिन्हें नौकरी पर मदन सूत मिल हस्तिनापुर जनपद मेरठ में पुनर्वासित किया गया था उक्त सूत मिल दिनांक 08-08-1984 को बन्द हो जाने के बाद मदन सूत मिल में कार्य कर रहे 407 परिवारों में से 63 परिवारो को पुन: पुर्नवासन हेतू राजस्व अनुभाग-6 के पत्रांक संख्या-सी०एम०-25/एक-6-2021-वी०आई०पी०-02/2018-रा०-6 दिनांक 11-11-2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त 63 परिवारों को ग्राम भैसाया तहसील रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात में बसाया गया था। अत: जनपद कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय से उपयुवत भूमि लगभग 4.00 है० आवास हेतू चिन्हित कराकर प्रभावित परिवारों को वहां बसाये जाने की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

आवश्यक कार्यवाही हेतू आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

06/02/25

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / कृते जिलाधिकारी
मेरठ

प्रतिलिपि:-

1 – जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात को इस अनुरोध के साथ कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / कृते जिलाधिकारी
मेरठ